न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैंपऊ

पीठासीन अधिकारी – भगवतशरण त्यागी आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 4 / 2025

1. पुरूषोत्तमलाल त्यागी पुत्र श्री लीलाधर जाति त्यागी निवासी कुरैंधा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राज।

बनाम ....प्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी
अंतर्गत धारा 129 एलआरएक्ट

उपस्थितिः–

1–श्री हजरत खॉ एडवोकेट ....(प्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक 12.6.2025

सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 62 रकवा 0.3451 हे. वाके ग्राम कौलारी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राज का तन्हा खातेदार कातश्कार है और इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त विवादित कृषि भूमि का प्रार्थी एकांतिक अभिलिखित खातेदार कृषक है जिस पर प्रार्थी एकांतिक रूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोगकर्ता है। प्रार्थी के विवादित खसरा नम्बर में से पडोसी काश्तकारों ने चारो तरफ अपने खेतों में से कुछ हिस्सा दबा लिया है जिसके लिए श्रीमान तहसीलदार साहब सैंपऊ के आदेश पर हल्का पटवारी व आई.एल.आर द्वारा उक्त आराजी की दिनांक 24.6.2024 को जरीब चलाकर पैमाइश की एवं निशानात कायम किये और मौके पर मौजूद लोगों के हस्ताक्षर कराकर रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार सैंपऊ के यहां पेश की जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पडोसी खातेदारों ने पुनः निशानात मिटाकर अतिक्रमण किया तो प्रार्थीने मना किया और निशानात को मिटाने की कोशिश की है। मुताबिक निशानदेही एवं निशानात के बावजूद पडौसी काश्तकार प्रार्थी की आराजी में दखलंदाजी करने से बाज नहीं आ रहे है। प्रार्थी को उसकी आराजी में मुताबिक निशानदेही काश्त नहीं करने दे रहे है इसलिए निशानदेही के आधार पर लगाये गये निशानात पर मुड्डी गढी कराया जाना अति आवश्यक है जिससे प्रार्थी की विवादग्रस्त आराजी की चारो और की मैड मुस्तकिल हो सके एवं पडोसी काश्तकार प्रार्थी की आराजी में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं कर सके। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी को आवश्यक हो गया कि विवादित कृषि भूमि की प्रार्थी पत्थरगढी करावें तथा पडोसी खातेदारों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि आयन्दा भविष्य में विवादित कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें ना ही प्रार्थी को जबरन बलपूर्वक बेदखल करें ना उसके एकान्तिक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा डाले एवं निशानात को नहीं मिटावें जिसे करा पाने का प्रार्थी विधिक अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 62 रकवा 0.3451 हे. वाके ग्राम कौलारी तहसील सैंपऊ की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट तारीखी 24.6.2024 के आधार पर प्रार्थीगण के खर्चे पर कराऐ जाने एवं व्यवधान की स्थिति में पुलिस इमदाद दिलाए जाने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा तहसीलदार सैंपऊ से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव तलब किया गया तहसीलदार सैंपऊ द्वारा अपने पत्रांक 123 दिनांक 02.5.2025 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सैंपऊ आराजी खसरा नम्बर 62 रकवा 0.3451 हे. वाके ग्राम कौलारी तहसील सैंपऊ का दिनांक 24.6.2024 जरीब चलाकर पैमाइश करवा दी गई है और निशानात कायम करवाए जा चुके है। उक्त खसरा नम्बर की पैमाईश की जाकर पडौसी काश्तकारों के समक्ष पैमाइश करवाकर निशानात कायम करवाकर मौके पर बताये जा चके है। यदि प्रार्थीगण स्वयं के खर्चे पर पत्थरगढी कराते है तो कोई आपत्ति नहीं है एवं न्यायसंगत है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। दस्तावेजो के अवलोकन से पूर्णतः सहमत है तथा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र 129 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर आराजी आराजी खसरा नम्बर 62 रकवा 0.3451 हे. वाके ग्राम कौलारी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर को मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 24.6.2024 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के खर्चे पर कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सैंपऊ को उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु परवाना जारी हो। तहसीलदार सैंपऊ उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट अविलम्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.6.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner